

परियोजना का नाम:- अखीमठ नगर पंचायत पेयजल योजना

वन भूमि के मूल्य / वार्षिक लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत प्रयोजन हेतु वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रूपये.....प्रति हे० है तथा उक्त प्रयोजन हेतु.....हे० वन भूमि का कुल मूल्य रूपये.....होता है। उक्त वन भूमि का वार्षिक लीज रेन्टप्रतिशत की दर से रूपये.....होता है।

लगाय है

ह०/-
जिलाधिकारी

नोट :-उक्त प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा व प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जायेगा।